भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2561

(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमएवाई-जी योजना

2561. श्रीमती कमलेश जांगड़े:

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

श्री खगेन मुर्मु:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत उक्त राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है ताकि 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 4.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के

लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। दिनांक 31.07.2025 तक की स्थिति अनुसार, 4.95 करोड़ आवासों के संचयी लक्ष्य में से , 4.12 करोड़ आवास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं और 2.81 करोड़ से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं।

4.95 करोड़ आवासों के संचयी लक्ष्य में से , 37.77 लाख आवास पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 36.59 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और 27.32 लाख आवास पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा पूरे किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, असम को 5,59,951 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसमें से 5,33,105 आवासों को मंजूरी दी गई है और राज्य द्वारा 77,594 आवास पूरे किए जा चुके हैं।

असम को लक्ष्य आवंटित करने के बाद , पूर्वोत्तर राज्यों में एसईसीसी और आवास + 2018 सूचियों से सभी चिन्हित पात्र परिवारों को शामिल कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान हेतु आवास + सूची को अद्यतन करने की स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप , पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान हेतु ई -केवाईसी चेहरा-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके आवास + 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से आवास + 2024 सर्वेक्षण किया जा रहा है। आवास + 2024 सर्वेक्षण से अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान सर्वेक्षण पूरा होने और राज्यों द्वारा आंकड़ों के सत्यापन के बाद की जाएगी।

*****